

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

आ०आ०सं-०४ / यो०बजट-५२ / २०१५-

४४ / आ०

व०प० राँची, दिनांक :— ०६.०७.२०१५

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

विषय :-

वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में “इको-टूरिज्म” (अन्य व्यय) के अंतर्गत राज्य के विभिन्न स्थलों, जैसे बेतला, पारसनाथ, त्रिकुट, दलमा, तिलैया, नेतरहाट, फॉसिल पार्क इत्यादि में इको-टूरिज्म के विकास कार्य एवं इस हेतु परामर्शी सेवाओं के लिए कुल ७००.०० लाख (सात करोड़) रूपये मात्र का आवंटन निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय पत्रांक ४ / यो०बजट-५२ / २०१५-१९ / स्वी० व०प० दिनांक २४.०६.२०१५

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में “इको-टूरिज्म” (अन्य व्यय) के अंतर्गत राज्य के विभिन्न स्थलों, जैसे बेतला, पारसनाथ, त्रिकुट, दलमा, तिलैया, नेतरहाट, फॉसिल पार्क इत्यादि में इको-टूरिज्म के विकास कार्य एवं इस हेतु परामर्शी सेवाओं के लिए कुल ७००.०० लाख (सात करोड़) रूपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

२. तदनुसार उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न वर्णित लघुशीर्ष अंतर्गत/इकाईवार कुल ७००.०० लाख (सात करोड़) रूपये मात्र की राशि आवंटित की जाती है :—

(राशि लाख रुपये में)

क्र० शं०	योजना का नाम	प्राथमिक इकाई	विष्ट्र कोड	बजटीय संबंध	स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटित राशि
१	इको-टूरिज्म	मजदूरी	19P240601101460103	420.000	420.000	420.000
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601101460323	280.000	280.000	280.000
कुल राशि				700.000	700.000	700.000

ऑन-लाईन आवंटन की प्रति संलग्न है।

३. प्रासंगिक व्यय वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में कार्यान्वित की जानेवाली “इको-टूरिज्म” योजना बजट मुख्य शीर्ष-२४०६- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०१ वानिकी, लघु शीर्ष- १०१ वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, उप शीर्ष-४६-इको-टूरिज्म अन्तर्गत विकलनीय होगा।

11/6 4

4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा इस योजनांतर्गत राशि, का उप आवंटन आवंटित राशि के अन्तर्गत ही सीमित रखा जायेगा।
5. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी-पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं0-300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी भाष्ट की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का ट्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से करना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा-निर्देशों का समस्य अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,

(सुखदेव सिंह)
(सुखदेव सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

अनु०-यथोक्त।

48/आ०

06.07.2015



आवंटन आदेश

आरखड सरकार

FOREST & ENVIRONMENT DEPARTMENT

यात्रा वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नांकित दराएं गए बजट शीर्ष के सम्मते अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

पत्र संख्या - 4/YB- 52/2015/48A

दिनांक -

02~Jul

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601101460103 2406 . वानिकी तथा बन्द जीवन 01 . वानिकी 101 . बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-दूरीजन 01 . वेतन एवं भौमि 03 . मनदूरी	45262	DRNFWL056 SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS ADDI.PCCF.DEV.JHAR KHAND RANCHI	रुपये चार करोड़ बीस लाख 42,000,000.00
2	P 19 240601101460323 2406 . वानिकी तथा बन्द जीवन 01 . वानिकी 101 . बन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 . इको-दूरीजन 03 . प्रशासनिक व्यय 23 . आपूर्ति एवं सामग्री	45263	DRNFWL056 SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS ADDI.PCCF.DEV.JHAR KHAND RANCHI	रुपये दो करोड़ अस्सी लाख 28,000,000.00
			गोपनीय राज्यपाल	70,000,000.00

शोगः

हस्तिक योगः

रुपये सात करोड़

M.W

सुखदेव (SUKHDEV SINGH)
57